

~~१~~

23/1/2022

पत्रावली पेश। प्राची अधिवक्ता अथवा प्राची अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिथा की ओर से प्राची पत्र (212 RTI Act) को नोट प्रेषित जाहें कर निवेदन किया कि प्रस्ताव आगे चलना नहीं चाहते हैं। अतः अप्राची पत्र जारी नोट प्रेषित खारिज करावे। पत्रावली को अद्यतन व अपलोड किया। प्राची की ओर से अधिवक्ता को प्राची पत्र (212 RTI Act) जारी नोट प्रेषित इसी तरह पर खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रेषित शुभानु होना चाहिए से कम होना। दारिद्र्यलक्षित है।

arale press
by
23/1/22

~~१~~

सहायक कलेक्टर एवं कार्यवाहक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) रावरी (जालौर)

